वित्त निर्देश 32/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 252 /250/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 21.08.2007

प्रति,

समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषयः- सेवा निवृत्ति शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों/परिवार पेशंन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के संबंध में ।

संदर्भः- राज्य शासन द्वारा जारी वित्त निर्देश 14/2002 (क्रमांक 156/23/वित्त /नि. /चार/2002 रायपुर 18-03-2002)

शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त परिलाभों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका क्रमांक 1961/2006 में दिये गये निर्देशों के पालन में विशेष सचिव, वित्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसके द्वारा शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त स्वत्वों के निराकरण में आ रही कठिनाईयों/विलंब को दूर करने के लिए कतिपय अनुशंसाएं की गई हैं । इन अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन दिनांक 24.9.2007 तक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है ।

सेवानिवृत्त परिलाभों का समय पर निराकरण करने हेतु एक प्रमुख अनुशंसा यह भी है कि जिलाध्यक्ष माह में एक बार समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की बैठक लेकर लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा करेंगे तथा इन प्रकरणों के अंतिम निराकरण हेतु यथायोग्य कार्यवाही के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख को दिशा निर्देश देंगे । इस बैठक में संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा व पेंशन अथवा उसके द्वारा नामांकित अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। इस बैठक के समन्वय का संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कोषालय अधिकारी का होगा ।

इस बैठक में विगत माहों के लंबित पेंशन प्रकरणों की तथा नवीन माह के पेंशन प्रकरणों की भी समीक्षा की जाएगी । बैठक पश्चात् इसका प्रतिवेदन संचालक कोष लेखा व पेंशन को प्रेषित किया जाएगा । शासन स्तर पर प्रत्येक त्रैमास में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस विषय पर बैठक आयोजित की जावेगी जिसमें इसकी समीक्षा की जावेगी ।

अत: कृपया उपरोक्तानुसार प्रथम बैठक अगस्त माह में आयोजित करने की व्यवस्था करें, ताकि इसके आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर निर्धारित समयावधि में उच्च न्यायालय को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 252(a)/250/वित्त/नियम/चार/07, रायपुर, दिनांक 21.08.2007

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. शासन के समस्त विभाग
5. समस्त विभागाध्यक्ष
6. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
7. समस्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त
8. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
10. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
11. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
12. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
13. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
15. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
16. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड.शंकर नगर, रायपुर
17. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
18. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
20. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
21. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
22. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
23. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
24. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
25. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

¼vferkHk 'kek½
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग